

DGM/Admin/RTI

34 महाराष्ट्रक/प्रशासन/आर टी आइ
(Tejpal Chawla)

(निवाले वाले)

16/06/17



दस्तावेज-110001

अपीलीय प्रतिक्रिया का नाम एवं पता है: श्री सतीश कोठारी, ग्रुप महाराष्ट्रक/प्रशासन, डी एक सी सी आई एल, नई

S.No.	Information required	DfCIL serialized answer
1	Item (i)	मैंने अधिग्रहण से सम्बन्धित कानपुर नगर एवं कानपुर देहात में भाकपुर से सरसौल तक के नदियों की प्रति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती।
2	Item (ii)	नदियों की निर्माण प्रकल्प योजनाएं एवं कार्यादेश प्राप्त होने पर ही कार्य किया गया है।
3	Item (iii)	नहीं।
4	Item (iv)	नहीं।
5	Item (v)	नहीं।
6	Item (vi)	स्पष्टीकरण देना, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अन्तर्गत सूचना नहीं है।

प्राप्त उत्तर/received reply:

The Information received from the concerned office is as under:

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान कराना।
Providing information under the RTI Act 2005
Original application dt. 25.03.2017 received through CPM/Allahabad
office on from Shri Rajbahadur Singh R/O Kanpur, U.P.

New Delhi: 16.06.2017

